



2026:AHC: 167587

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2253/2025

राहुल चौहान

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: शिव बहादुर सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, पीयूष कुमार पाठक, प्रत्युष
कुमार पाठक

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा दाखिल अनुपालन शपथ पत्र और अपीलार्थी की ओर से दाखिल पूरक शपथ पत्र, जो आज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. वर्तमान आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, बिजनौर द्वारा विशेष वाद संख्या 1044 वर्ष 2025 (राज्य बनाम राहुल चौहान और अन्य), जो थाना चांदपुर, जिला बिजनौर के मुकदमा अपराध संख्या 719 वर्ष 2024, धारा 318(4), 316(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(व) से उत्पन्न हुआ है, में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 7.2.2025 को अपास्त करने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को तलब किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप किसी भी स्वतंत्र या विश्वसनीय सामग्री द्वारा समर्थित नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि 3,00,000/- रुपये की राशि अपीलार्थी के खाते में स्थानांतरित की गई थी, लेकिन यह अपने आप में अपीलार्थी की ओर से कोई बेईमानी का आशय या दुर्विनियोग स्थापित नहीं करता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अपराधों के आवश्यक तत्व नहीं बनते हैं, क्योंकि यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान पर कोई जाति-आधारित अपमान या गाली-गलौज की गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित घटना अपीलार्थी के घर के अंदर हुई थी। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई है कि अपील स्वीकार की जाए और अपीलार्थी को उचित राहत प्रदान की जाए।

5. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. ने अपील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को विशेष रूप से एफ.आई.आर. में नामित किया गया है और सह-अभियुक्त विशाल यादव द्वारा किए गए वादे के अनुसरण में उसके खाते में 3,00,000/- रुपये प्राप्त होने के संबंध में उसके विरुद्ध एक विशिष्ट आरोप लगाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोप यह खुलासा करते हैं कि अपीलार्थी ने सह-अभियुक्त के साथ मिलकर, पीड़ित और उसके पुत्र को विक्रय विलेख निष्पादित करने के झूठे वादे पर एक बड़ी धनराशि देने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद उसका दुर्विनियोग किया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि गाली-गलौज और घटना के संबंध में आरोप परिवादी और पीड़ित के बयानों द्वारा समर्थित हैं और यह कि तथ्य के विवादित प्रश्नों का इस स्तर पर अंतिम रूप से न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, यह प्रार्थना की गई है कि अपील खारिज की जाए।

6. अभियुक्त-अपीलार्थी और एक सह-अभियुक्त, अर्थात् विशाल यादव, को एफ.आई.आर. में नामित किया गया है। एफ.आई.आर. में आरोप यह है कि, सह-अभियुक्त विशाल यादव द्वारा किए गए वादे पर, अभियुक्त-अपीलार्थी के खाते में 3,00,000/- रुपये की राशि जमा की गई थी। इस तथ्य का अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया गया है। यह आगे आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी को कुछ अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया गया था और यह कि, पीड़ित के पुत्र और अभियुक्त-अपीलार्थी के बीच मैत्रीपूर्ण/घनिष्ठ संबंध का लाभ उठाते हुए,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



राहुल चौहान और विशाल यादव ने पीड़ित और उसके पुत्र से एक बड़ी राशि प्राप्त की और उसका दुर्विनियोग किया। कथित तौर पर उक्त राशि विक्रय विलेख निष्पादित करने के झूठे वादे पर ली गई थी। यह आरोप है कि जब पीड़ित और उसके पुत्र ने अभियुक्त-अपीलार्थी और सह-अभियुक्त से अपना पैसा वापस मांगा, तो उनके साथ गाली-गलौज की गई, और कथित घटना अपीलार्थी के घर पर हुई। हालांकि, एफ.आई.आर. में या परिवादी और पीड़ित के बयानों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए अभिलेख पर कोई स्वतंत्र या विश्वसनीय सामग्री नहीं है। जहां तक एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत अपराध का संबंध है, कथित घटना अभियुक्त-अपीलार्थी के घर के अंदर घटित होना बताया गया है। यह स्थापित करने के लिए अभिलेख पर कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है कि कथित घटना सार्वजनिक दृष्टि के भीतर घटित हुई। इसी प्रकार, यह स्थापित करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने पीड़ित के एससी/एसटी वर्ग से संबंधित होने के आधार पर उसके विरुद्ध किसी जाति-आधारित अपशब्द का प्रयोग किया।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामले में अभी तक आरोप विरचित नहीं किए गए हैं। **दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2024) 10 एस.सी.सी. 690** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, विद्वान विचारण न्यायालय, आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर, विधि के अनुसार धारा 406 और 420 भा.द.सं. की प्रयोज्यता पर विचार करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर और उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में, जैसा भी उचित हो, या तो धारा 406 भा.द.सं. या धारा 420 भा.द.सं. के अंतर्गत उचित आरोप विरचित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. अभियुक्त अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) के अंतर्गत तलब करने के प्रयोजन के लिए, यह आवश्यक है कि घटना "सार्वजनिक दृष्टि" में हुई हो। अभियोजन पक्ष को प्रथम दृष्टया यह दिखाना होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस) के अंतर्गत अपराध "सार्वजनिक दृष्टि" के भीतर वाले स्थान पर किया गया है, लेकिन इस वाद में यह न्यायालय पाता है कि घटना अपीलार्थी के घर के अंदर घटित होना बताया गया है। अभियोजन पक्ष ने 'सार्वजनिक दृष्टि' और केवल इस आधार पर कि पीड़ित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



एससी/एसटी वर्ग से संबंधित है, जानबूझकर अपमान/प्रताड़ना के किसी भी साक्ष्य को इंगित नहीं किया है।

9. **स्वर्ण सिंह बनाम राज्य (2008) 8 एस.सी.सी. 435** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "सार्वजनिक स्थान" और "सार्वजनिक दृष्टि के भीतर कोई स्थान" के भावों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। यदि घटना जनता के सदस्यों को दिखाई देती है तो एक निजी स्थान भी सार्वजनिक दृष्टि के भीतर का स्थान हो सकता है। इसके विपरीत, केवल इसलिए कि कोई घटना किसी सार्वजनिक भवन में होती है, वह स्वतः ही आवश्यकता को पूरा नहीं करती यदि वह सार्वजनिक दृष्टि के भीतर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "चमार" जैसे शब्द, यद्यपि मूल रूप से एक जाति को दर्शाते हैं, यदि अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जातिवादी गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वे एक अपराध की कोटि में आ सकते हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि शब्दों को उनके लोकप्रिय और सामाजिक अर्थ में समझा जाना चाहिए, न कि केवल उनके व्युत्पत्तिशास्त्रीय अर्थ में। धारा 3(1)(एक्स) (अब धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस)) को आकर्षित करने के लिए, जानबूझकर अपमान या अभिवासा होना चाहिए; और पीड़ित को अपमानित करने का आशय होना चाहिए क्योंकि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अधिनियम द्वारा परिकल्पित अपेक्षित आशय के बिना, केवल गाली-गलौज या झगड़ा अपर्याप्त है। न्यायालय ने दोहराया कि आपराधिक कार्यवाही केवल वहीं जारी रहनी चाहिए जहां आरोप किसी विशेष अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा करते हों। कार्यवाहियां वहां रद्द की जा सकती हैं जहां एफ.आई.आर. किसी अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है।

10. **गोरिगे पेंटैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2009 क्रि.एल.जे.350** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "जब शिकायत में अपराध के मूल तत्व गायब हों, तो ऐसी शिकायत को जारी रहने की अनुमति देना और अपीलार्थी को आपराधिक विचारण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का सामना करने के लिए विवश करना पूरी तरह से अनुचित होगा जिससे विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) 10 एस.सी.सी. 710** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उपस्थिति के बिना भूमि के कब्जे को लेकर परिवादी के निजी घर के अंदर उत्पन्न विवाद, धारा 3(1)(आर) की वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करता है।'

11. शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य और एक अन्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2249 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हितेश वर्मा (उपरोक्त) के मामलों को उद्धृत करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के आशय से जानबूझकर किए गए अपमान और अभिवास के तत्व को इंगित करेगा। किसी व्यक्ति का सभी अपमान या अभिवास अधिनियम के अंतर्गत अपराध नहीं होगा जब तक कि ऐसा अपमान या अभिवास पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के कारण न हो। अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है क्योंकि उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है। इस प्रकार, अधिनियम के अंतर्गत अपराध तब बनेगा जब समाज के कमजोर वर्ग के किसी सदस्य को अपमान, प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार होना पड़े। किसी भी पक्ष द्वारा भूमि पर स्वामित्व का दावा न तो अपमान, प्रताड़ना और न ही उत्पीड़न के कारण है। प्रत्येक नागरिक को विधि के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठाने का अधिकार है। इसलिए, यदि अपीलार्थी या उसके परिवार के सदस्यों ने दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, या कि प्रत्यर्थी 2 ने सिविल न्यायालय की अधिकारिता का आह्वान किया है, तो पक्ष विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने उपचारों का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी कार्रवाई इस कारण से नहीं है कि प्रत्यर्थी 2 अनुसूचित जाति का सदस्य है।"

खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2020) 18 एस.सी.सी. 763 में:

"15. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध ऐसा होना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत अपराध को आकर्षित करे। अपराध व्यक्ति के विरुद्ध इस आधार पर किया गया होना चाहिए कि वह व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सिद्धांत यह है कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के अंतर्गत अपराध केवल इस तथ्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पर स्थापित नहीं होता है कि परिवादी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जब तक कि ऐसे सदस्य को इस कारण से अपमानित करने का आशय न हो कि वह ऐसे समुदाय से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, 1989 के अधिनियम का यह तात्पर्य नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, जानबूझकर किया गया अपमान या अभिवास का प्रत्येक कृत्य 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) को केवल इसलिए आकर्षित करेगा क्योंकि यह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। इसके विपरीत, 1989 के अधिनियम की धारा 3(1)(आर) वहां आकर्षित होती है जहां जानबूझकर किए गए अपमान या अभिवास का कारण यह है कि जिस व्यक्ति को इसका शिकार बनाया जाता है वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि 1989 के अधिनियम के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य उन अपराधों की सजा के लिए कठोर प्रावधान प्रदान करना था जो एससी/एसटी समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को उनकी जाति की स्थिति के कारण लक्षित किए जाते हैं।"

12. तदनुसार, प्रतिद्वंद्वी अभिवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने और अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(व) के प्रावधानों को आकर्षित करने वाले प्रथम दृष्टया वाद का भी खुलासा करने में विफल रहा है। जांच/विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह इंगित नहीं करती है कि कथित शब्द या आचरण सूचनादाता की जाति से प्रेरित थे या सूचनादाता के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के आधार पर जानबूझकर उसका अपमान करने या उसे प्रताड़ित करने के आशय से किए गए थे। यह स्थापित करने के लिए भी किसी सामग्री का अभाव है कि कथित घटना "सार्वजनिक दृष्टि" के भीतर किसी स्थान पर हुई थी, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जैसा कि **स्वर्ण सिंह** (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है और **हितेश वर्मा और शाजन स्कारिया (उपरोक्त)** में इसकी आगे पुष्टि की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



13. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(व) के अंतर्गत अपराधों का गठन करने वाले आवश्यक तत्व विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं, और उक्त अपराधों के लिए कार्यवाहियों को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। परिणामस्वरूप, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के अंतर्गत अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।

14. विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी एक्ट, बिजनौर द्वारा विशेष मामला संख्या 1044 वर्ष 2025 (राज्य बनाम राहुल चौहान और अन्य), जो थाना चांदपुर, जिला बिजनौर के मुकदमा अपराध संख्या 719 वर्ष 2024, धारा 318(4), 316(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(व) से उत्पन्न है, में पारित आदेश दिनांक 7.2.2025 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अपीलार्थी को एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(व) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से उन्मोचित किया जाता है।

15. फिर भी, चूंकि धारा 318(4), 316(2), 352, 351(3) बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए इसके संबंध में अभियोजन विधि के अनुसार जारी रहेगा और शीघ्रता से संपन्न किया जाएगा। विचारण न्यायालय वाद के गुण-दोष पर यहां की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ेगा।

16. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के भीतर संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से संबंधित न्यायालय को फैक्स/ई-मेल द्वारा इस आदेश की एक प्रति तामील कराएं।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

11 अगस्त, 2026

आर.ए.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”